

कृषि में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

संदर्भ

15 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्रामीण महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय दविस और भारत में राष्ट्रीय महिला कसिान दविस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2016 में कृषि एवं कसिान कलयाण मंत्रालय ने कृषि के प्रत्येक स्तर (बुवाई से लेकर रोपण, जल नकिसी, सचिसई, उरवरक, पौध संरक्षण, कटाई, खरपतवार हटाने, और भंडारण तक) के कार्यों में महिलाओं द्वारा नभिसई जा रही अग्रणी भूमकिसा के महत्त्व को रेखांकत करने के लयिस इस दनिस को राष्ट्रीय महिला कसिान दविस के रूप में मनाने का फैसला कयिस।

डेटा और वास्तवकिसा

- मंत्रालय ने इस वर्ष फसल की खेती, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन में महिला कसिसानों के सामने आने वाली चुनौतयिसों पर चर्चा करने के लयिस वचिसार-वमिरश का प्रस्ताव दयिस है। इसका उद्देश्य क्रेडिट, कौशल वकिसा और उद्यमी अवसरों तक बेहतर पहुँच का उपयोग करके एक कार्य-योजना पर काम करना है। लेकनिस केवल यह कह देने से खेतों में उन महिलाओं के सामने आने वाली कठनिसाई कम नहीं होने वाली।
- ऑक्सफैम इंडयिसा के अनुसार, खाद्य उत्पादन के लयिस 60 से 80 प्रतिशत तथा डेयरी उत्पादन के लयिस लगभग 90 प्रतिशत महिलाएँ जमिमेदार हैं।
- चाहे फसलों की खेती की बात हो, पशुधन प्रबंधन या फरिस घर पर काम करने की बात हो, महिला कसिसानों द्वारा कयिस जाने वाले काम पर कभी कसिसी का धयान नहीं जाता है। हालँकसरकार द्वारा इन महिलाओं को मुरगीपालन, मधुमकखी पालन और ग्रामीण हस्तशल्पिस में प्रशकिसण देने के प्रयसास कयिस गए हैं लेकनिस सरकार के ये प्रयसास महिला कसिसानों की इतनी बडी संख्या के सामने मामूली हैं।
- कृषि में महिलाओं की रुचिको बनाए रखने और उनके उत्थान के लयिस एक ऐसी दूरदर्शतिसा की आवशकतिसा है जो उचतिस नीतिस और कार्यवाही वाली कार्य-योजनाओं द्वारा समर्थतिस हो।

कृषि जनगणना के अनुसार

- कृषि जनगणना (2010-11) के अनुसार, अनुमानतिस 118.7 मलियन कसिसानों में से 30.3% महिलाएँ थीं। इसी प्रकार, अनुमानतिस 144.3 मलियन कृषि शरमकिसों में से 42.6% महिलाएँ थीं।
- परचालन संपत्तकिस के स्वामततिस के मामले में नवीनतम कृषि जनगणना (2015-16) चौकाने वाली है। कुल 146 मलियन परचालन संपत्तकिस में से महिला परचालन संपत्तकिस धारकों का हसिससा 13.87% (20.25 मलियन) है, जसिसमें पाँच वर्षों में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- जबकक कृषि में महिलाओं की संख्या तेजरी से बढ़ रही है, सरकार को महिला कसिसानों और मजदूरों के सामने आने वाली चुनौतयिसों का समाधान करने के लयिस तैयार होना शेष है।

महिला कसिसानों की अधकिसारहीनतिसा

- पुरुष कसिसानों की तुलना में लंबे समय तक अधकिसा काम (वैतनकिस तथा अवैतनकिस) करने के बावजूद महिला कसिसान न तो उत्पादन पर कोई दावा कर सकतिसी हैं और न ही उच्च मजदूरी दर की माँग कर सकतिसी हैं।
- खेत पर काम करने के अलावा, उनके पास घर और पारविसारकिस जमिमेदारयिसों भी हैं। कम मुआवजे के साथ बढ़े हुए काम का बोझ उन्हें हाशयिस पर ले जाने के लयिस जमिमेदार एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
- अभी तक, महिला कसिसानों का समाज में शायद ही कोई प्रतिनधिततिस है और कसिसानों के संगठनों या समय-समय पर कयिस जाने वाले आंदोलनों में उनका कहीं भी स्पष्ट प्रतिनधिततिस नहीं है। वे ऐसी अदृश्य शरमकिस हैं जनिके बना कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना मुशकलिस है।

महिला कसिसानों के समकष समस्यारें

1. भू-स्वामततिसत्व

- महिला कसिसानों के सामने सबसे बडी चुनौतिस यह है कजसिस भूमिस पर वे खेती कर रही हैं, उस पर स्वामततिसत्व का दावा करने के मामले में वे शकतहीन हैं।
- कृषि जनगणना 2015 के अनुसार, लगभग 86% महिला कसिसान इस संपत्तकिस से शायद इसलयिस वंचतिस हैं कयोंकक हमारे समाज में पतिससत्तात्मक व्यवस्था स्थापतिस है। वशेष रूप से भूमिस पर स्वामततिसत्व की कमी महिला कसिसानों को संस्थागत ऋण के लयिस बैंकों से संपर्क करने की अनुमतिस नहीं देतिस कयोंकक बैंक आमतौर पर जमीन के आधार पर ही ऋण स्वीकृत करते हैं।
- दुनयिसा भर में कयिस गए शोधों से पता चलता है कजजनिस महिलाओं की पहुँच सुरकषतिस भूमिस, औपचारकिस ऋण और बाजार तक है, वे फसल-सुधार,

उत्पादकता में वृद्धि और घरेलू खाद्य सुरक्षा तथा पोषण में सुधार करने के लिये अधिक निवेश कर पाती हैं।

2. भूमि अधिग्रहण

- पछिले वर्षों में भूमि अधिग्रहण दोगुना हो गया है जिसके परिणामस्वरूप खेतों का औसत आकार घट गया है। इसलिये, अधिकांश किसान छोटे और सीमांत वर्ग (एक श्रेणी जो परिवारिक रूप से महिला किसानों को शामिल करती है) के अंतर्गत आते हैं, इनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है।

3. अनुकूल मशीनरी

- महिला किसान और मजदूर आमतौर पर श्रम-केंद्रित कार्य (कुदाल या फावड़े की मदद से गड्ढा खोदना, घास काटना, खरपतवार हटाना, कटाई करना, बेंत का संग्रह, पशुधन की देखभाल) करती हैं।
- वभिन्न कृषि परिव्यालनों के लिये महिला-अनुकूल उपकरण और मशीनरी रखना महत्वपूर्ण है।
- अधिकांश कृषि मशीनरी ऐसी है जिनका संचालन करना महिलाओं के लिये मुश्किल है। इस समस्या के बेहतर समाधान के लिये निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

4. संसाधनों तक पहुँच

- अंतमि समस्या यह है कि कृषि को अधिक उत्पादक बनाने के लिये संसाधनों और आधुनिक उपकरणों (बीज, उर्वरक, कीटनाशक) तक महिला किसानों की पहुँच आमतौर पर पुरुषों की तुलना में कम होती है।
- खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, महिला और पुरुष किसानों के लिये उत्पादक संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित हो जाने से विकासशील देशों के कृषि उत्पादन में 2.5% से 4% की वृद्धि हो सकती है।

समाधान

- कृषि और ग्रामीण विकास के लिये नेशनल बैंक के माइक्रो-फाइनेंस पहल के तहत किसी आनुषांगिक के बिना ही दिये जाने वाले ऋण प्रावधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। क्रेडिट, प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता क्षमताओं के प्रावधान तक बेहतर पहुँच महिलाओं के आत्मविश्वास को और बढ़ावा देगी और उन्हें किसानों के रूप में मान्यता प्राप्त करने में मदद करेगी।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये सामूहिक खेती की संभावना को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कुछ स्वयं-सहायता समूहों और सहकारी-डेयरी गतिविधियों (राजस्थान में सरस और गुजरात में अमूल) द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण तथा कौशल प्रदान किया गया है।
- इन्हें किसान निर्माता संगठनों के माध्यम से और अधिक विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशीन, बीज और रोपण सामग्री पर उप-मशीन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी सरकारी प्रमुख योजनाओं में महिला केंद्रित रणनीतियों और समर्पित व्यय को शामिल किया जाना चाहिये।
- महिला किसानों को सब्सिडी वाली सेवाएँ प्रदान करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा प्रचारित कृषि मशीनरी बैंक और कस्टम भरती केंद्रों को तैयार किया जा सकता है।
- प्रत्येक ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्रों को वसितार सेवाओं के साथ-साथ अभिनव प्रौद्योगिकी के बारे में महिला किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का एक अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है।

निष्कर्ष

- जब महिलाएँ कृषि के क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं तो इस कार्य में उनकी नरितरता को बनाए रखने के लिये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उन्हें भूमि संपत्ता के अधिकारों को सौंपना। एक बार महिला किसानों को प्राथमिक अर्जक और भूमि परिसंपत्तियों के मालिकों के रूप में सूचीबद्ध कर दिया जाए तो उनके लिये बैंकों से ऋण प्राप्त करना आसान हो जाएगा। साथ ही महिला किसान तकनीक और मशीनों का उपयोग करके फसल उगाने और गाँव के व्यापारियों या थोक बाजारों में उपज का निपटान करने का नरिणय ले सकेंगी। इस प्रकार वास्तविक और दृश्यमान किसानों के रूप में उनकी पहचान सुनिश्चित हो सकेगी।